



## सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शास्त्री सेमेस्टर की परीक्षा के सम्बन्ध में प्रभावी दिशा-निर्देश-

1. शास्त्री के प्रत्येक सेमेस्टर में प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनिवार्य पत्र, मुख्य विषय के 02 (दो) पत्र, अनुषंगिक विषय का 01 (एक) पत्र सहित कुल 06 (छः) पत्रों के प्राप्तांकों के सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षाफल का निर्धारण होगा। प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. प्रत्येक पत्र के लिए 75 (पचहत्तर) अंको की अधिसत्रीय (लिखित) परीक्षा में न्यूनतम् 28 (अठाईस) अंक एवं 25 (पच्चीस) अंको की सत्रीय(आन्तरिक मूल्यांकन) न्यूनतम् 08 (आठ) अंक सहित कुल 36 (छत्तीस) अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा।
3. शास्त्री प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी पत्रों में 25 (पच्चीस) अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा, आन्तरिक मूल्यांकन के अंक अंकित करने हेतु अंकचिट का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर अंकचिट प्रारूप पर अंकित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।
4. शास्त्री प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर गृहविज्ञान-विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा, परीक्षा केन्द्र के स्थान पर सम्बन्धित महाविद्यालय पर ही सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव समय-चक्र में एतदर्थ तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है।
5. शास्त्री प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में 75 अंकों की अधिसत्रीय व 25 अंकों की सत्रीय परीक्षा के अतिरिक्त गृहविज्ञान-विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा हेतु 100 (सौ) अंकों के नये प्रायोगिक पाठ्यक्रमानुसार 75 (पचहत्तर) अंको की प्रायोगिक तथा 25 (पच्चीस) अंको का आन्तरिक मूल्यांकन भी होगा, जो प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में ही सम्पन्न कराया जायेगा। आन्तरिक मूल्यांकन के अंक अंकित करने हेतु अंकचिट का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर अंकचिट प्रारूप पर अंकित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।
6. शास्त्री प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में 75 अंकों की अधिसत्रीय व 25 अंकों की सत्रीय परीक्षा के अतिरिक्त संगणक अनुप्रयोग के प्रायोगिक परीक्षा के नये प्रायोगिक पाठ्यक्रमानुसार 75 (पचहत्तर) अंकों की प्रायोगिक तथा 25 (पच्चीस) अंको का आन्तरिक मूल्यांकन भी होगा जो प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में ही सम्पन्न कराया जायेगा। आन्तरिक मूल्यांकन के अंक अंकित करने हेतु अंकचिट का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर अंकचिट प्रारूप पर अंकित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।
7. शास्त्री प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में सभी पत्रों के आन्तरिक मूल्यांकन तथा गृहविज्ञान-विज्ञान व संगणक के प्रभावी नये प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन के पृथक-पृथक तीन-तीन लिफाफों में तैयार अंकचिट परीक्षा केन्द्र से सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र को प्राप्त कराया जायेगा। परीक्षा केन्द्र, विश्वविद्यालय परिसर स्थित संकलन केन्द्र पर उत्तरपुस्तिका के साथ-साथ महाविद्यालय से प्राप्त अंकचिटों को भी जमा करायेंगे।
8. ऐसे परीक्षा केन्द्र जो स्वकेन्द्र हैं, वे भी अपने महाविद्यालय के छात्रों का आन्तरिक मूल्यांकन तथा विज्ञान-गृहविज्ञान एवं संगणक अनुप्रयोग के प्रायोगिक व आन्तरिक मूल्यांकन के अंकचिट प्रारूप पर दिये गये निर्देशानुसार लिफाफों को संकलन केन्द्र पर जमा करेंगे।

9. अनिवार्य पत्र पर्यावरण अध्ययन तथा संगणक अनुप्रयोग (ऐच्छिक) एवं अंग्रेजी (ऐच्छिक) पत्र का उत्तीर्णांक पृथक-पृथक निर्धारित है।
10. प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्णता के लिए 24 (चौबीस) क्रेडिट (अर्जितांक) अनिवार्य होगा।
11. पर्यावरण अध्ययन, अनिवार्य पत्र की उत्तीर्णता के आधार पर ही परीक्षार्थी के अन्तिम सेमेस्टर की उत्तीर्णता पूर्ण होगी।
12. पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा हेतु शास्त्री प्रथम सेमेस्टर में प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा तथा शास्त्री प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में छात्र के अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होने पर शास्त्री प्रथम सेमेस्टर के पर्यावरण अध्ययन की आगामी परीक्षा में, बैक परीक्षार्थी के रूप में छात्र प्रविष्ट हो सकेगा।
13. शास्त्री सेमेस्टर की परीक्षा में, किसी भी स्थिति में कृपांक देय नहीं होगा।
14. संगणक अनुप्रयोग (ऐच्छिक), अंग्रेजी (ऐच्छिक) पत्र का प्राप्तांक सम्पूर्ण योग में जोड़ा नहीं जायेगा और इन पत्रों में अनुत्तीर्णता से सम्बन्धित सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम प्रभावित भी नहीं होगा।
15. प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण परीक्षार्थी उस पत्र के लिये निर्धारित क्रेडिट(अर्जितांक) धारित करेगा।
16. बैक परीक्षा की दशा में छात्र 75 अंकों की अधिसत्रीय (लिखित) परीक्षा केन्द्र पर तथा 25 अंकों की सत्रीय परीक्षा (आन्तरिक मूल्यांकन) महाविद्यालय द्वारा करते हुए अंकचिट तैयार किया जायेगा। के लिये भी अंक प्रदान करेंगे।
17. बैक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः बैक परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा।
18. श्रेणी का निर्धारण पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर में यथा नियम किया जायेगा।
19. विश्वविद्यालय के परिसरीय छात्रों की शास्त्री प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी पत्रों में 25 (पच्चीस) अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन तथा विज्ञान-गृहविज्ञान एवं संगणक अनुप्रयोग के 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए 75 अंकों की प्रायोगिक व 25 अंकों की आन्तरिक मूल्यांकन की प्रायोगिक परीक्षा सम्बन्धित विभागों में सम्पन्न होगा।
20. प्रज्ञाचक्षु (अंध) छात्र विश्वविद्यालय परिसर स्थित केन्द्रीय कार्यालय के छात्रकल्याणसंकाय कक्ष में परीक्षा समाप्ति से एक दिन पूर्व स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। तदनुसार विश्वविद्यालय परिसर स्थित परीक्षा केन्द्र पर उनकी वाक् परीक्षायें, परीक्षा के अन्तिम दिन सम्पन्न करायी जायेगी।
21. परीक्षा समिति, दिनांक 09.07.2022 के निर्णयानुसार किसी भी प्रकार के त्रुटि का संशोधन परीक्षाफल-प्रकाशन तिथि से एक वर्ष के अन्दर निःशुल्क कराया जा सकेगा।
22. सेमेस्टर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के आधार पर, प्रभावी नियमों में प्राधिकारी समितिओं के माध्यम से संशोधन किया जा सकेगा।
23. अंकपत्र पर मुद्रित होने वाले संकेतांकों का विवरण-  
 AA-पत्र में अनुपस्थित, UF-पत्र में अनुचित साधन प्रयोग, MC-सामूहिक नकल, CN-निरस्त,  
 अधि.-अधिसत्रीय (लिखित), स.-सत्रीय मूल्यांकन (आन्तरिक मूल्यांकन)

पत्रांक: प.नि.6136/24 दिनांक 12.02.2024

3  
 12/02/24  
 (प्रो. सुधाकर मिश्र)  
 परीक्षा नियंत्रक  
 मो.नं. 9935409711  
 12/02/24